

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 2 of 2024

Sub.: Routing of the proposals relating to HRMS through the nodal Officer for HRMS i.e. AM/HR.

It has been decided that all the matters related to HRMS should be routed through the nodal officer for HRMS i.e. AM/HR, Railway Board.

- 2. CRIS will not deal with any HRMS related matters received directly from various Directorates of Railway Board.
- 3. The above issues with the approval of the competent authority.

No. 2024/O&M/2/1 Dated: 19.01.2024 (T. Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Tele No.- 011-47845551
Email ID: t.srinivas1@gov.in

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW and at Dayabasti, New Delhi

Copy to:

AM/HR, GM/CRIS

Copy for information:-

EDPG/MR, EDPG/MOSR(D), EDPG/MOSR(J)

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 2

विषय: एचआरएमएस से संबंधित प्रस्तावों को एचआरएमएस के नोडल अधिकारी अर्थात अपर सदस्य/मानव संसाधन के माध्यम से भेजना।

यह निर्णय लिया गया है कि एचआरएमएस से संबंधित सभी मामलों को एचआरएमएस के नोडल अधिकारी अर्थात अपर सदस्य/मानव संसाधन, रेलवे बोर्ड के माध्यम से भेजा जाए।

- 2. क्रिस दवारा रेलवे बोर्ड के विभिन्न निदेशालयों से सीधे प्राप्त एचआरएमएस से संबंधित किसी भी मामले का निपटान नहीं किया जाएगा।
- 3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/2/1

दिनांक: 19.01.2024

(टी. श्रीनिवास) संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

टेलीफोन नं. 011-47845551

ईमेल: t.srinivas1@gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषितः

अपर सदस्य/मानव संसाधन, महाप्रबंधक/क्रिस

प्रतिलिपि स्चनार्थ:-

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (जे)।